

प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 17.09.2024

लूट का अपराध कारित करने के आरोप में 02 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से लूट की 01 अदद चैन बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा लूट के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना गोरखनाथ गोरखपुर के नेतृत्व में 30नि0 शैलेन्द्र मिश्रा मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 493/2024 धारा 309(4) भा0न्या0सं0 से संबंधित वांछित अभियुक्ता 1. रवीना कुमारी व 2. रन्जू को लूट की 01 अदद चैन के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) भा0न्या0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.09.2024 को वादी मुकदमा की मां धर्मशाला से ऑटो में बैठकर अपने घर जा रही थी कि गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स से आनन्द लोक हॉस्पिटल के बीच में अभियुक्तागण द्वारा वादी मुकदमा के मां की गले की चैन लूट लेने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तागण का नाम व पता-

1. रवीना कुमारी पत्नी गुल्लू निवासिनी ग्राम बनजहरा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
2. रन्जू पत्नी पिकू कुमार निवासी इमली महुआ थाना पवही जिला आजमगढ़ व वर्तमान पता ग्राम बनजहरा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 493/2024 धारा 309(4), 317(2) भा0न्या0सं0 थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

01 अदद लूट की चैन

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्र0नि0 शशिभूषण राय थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2. 30नि0 शैलेन्द्र मिश्रा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
3. प्र0म030नि0 हैप्पी सिंह थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
4. कां0 बृजेश कुमार यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
5. म0कां0 रेनु देवी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर